भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-1-35/2018/सात-6 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी, 2019 से, जिला नीमच की तहसील नीमच की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 06 से 08, 10, 12 से 15 एवं 17 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील नीमच के पटवारी हल्का क्र. 06 से 08, 10, 12 से 15 एवं 17 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील नीमच नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 09 पटवारी हल्के होंगे और 22 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय नीमच में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव

भोपाल दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-35/2018/सात-6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-35/2018/सात-6 दिनांक / 7:12.2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव

Bhopal dated 17th December 2018

No. F 1-35/2018/VII/6 In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Neemuch of District Neemuch from 1st January, 2019, by excluding therefrom Patwarl Halka No. 06 to 08, 10, 12 to 15 and 17 and creates a new Tehsil Neemuch Nagar by comprising of Patwarl Halka No. 06 to 08, 10, 12 to 15 and 17 of Tehsil Neemuch, in which the total patwarl Halkas shall be 09 and villages Shall be 22. The headquarter of the said Tehsil shall be at Neemuch.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Hari Ranjan Rao, Principal Secretary.